



The Uttar Pradesh Braj Planning and Development Board Act, 2015

Act 5 of 2015

Keyword(s):

Braj Region, Braj Development Plan, Local Body, Implementing Agency, Land, Project Plan

Amendment appended: 3 of 2017

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 6 अप्रैल, 2015

चैत्र 16, 1937 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या 452/79-वि-1-15-1(क)8-2015
लखनऊ, 6 अप्रैल, 2015

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड विधेयक, 2015 पर दिनांक 2 अप्रैल, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2015 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड अधिनियम, 2015

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2015)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

ब्रज विरासत के सर्वांगीण क्षेत्रों यथा सांस्कृतिक, पर्यावरणिक और स्थापत्य सम्बन्धी सौंदर्यबोध के गुणों को परिरक्षित, विकसित और अनुरक्षित करने के लिए एक योजना बनाने के लिए, इस प्रकार की योजना के समन्वय और कार्यान्वयन के अनुश्रवण के लिए और क्षेत्र के एकीकृत पर्यटन विकास और विरासत के संरक्षण और प्रबंधन के लिए समन्वित नीतियों बनाने के लिए और मथुरा जनपद में किसी योजना, परियोजना या किसी विकास प्रस्ताव, जो ब्रज क्षेत्र के विरासत, संसाधनों को प्रभावित करे या जिससे प्रभाव पड़ सके, के सम्बन्ध में किसी विभाग/स्थानीय निकाय/प्राधिकरण को परामर्श और दिशा-निर्देश देने के लिए और इससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए एक नियोजन और विकास बोर्ड के गठन की व्यवस्था करने के लिए-

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय एक
प्रारंभिक

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के राजस्व जिले मथुरा में स्थित ब्रज क्षेत्र तक होगा।

(3) यह राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचित किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगा।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और प्रारंभ

परिभाषाए

2—जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :-

(क) "बोर्ड" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित ब्रज योजना और विकास बोर्ड से है,

(ख) "ब्रज विकास योजना" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन, ब्रज क्षेत्र के विकास और ब्रज क्षेत्र में पर्यटन हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास और मूर्त एवं अमूर्त विरासत के संरक्षण हेतु तैयार की गयी योजना से है,

(ग) "ब्रज क्षेत्र" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्य जिले मथुरा में स्थित संपूर्ण ब्रज क्षेत्र से है,

(घ) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है,

(ङ) "कौन्सिल" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन गठित कौन्सिल से है,

(च) "कार्यकारिणी समिति" का तात्पर्य धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित समिति से है,

(छ) "कार्यदायी अभिकरण" का तात्पर्य राज्य सरकार के किसी विभाग अथवा मथुरा जिले में किसी स्थानीय निकाय अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार की अधिकारिता के अधीन किसी लोक उपक्रम से है,

(ज) "भूमि" के अन्तर्गत भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ और भूमि से जुड़ी वस्तुएं या भूमि से जुड़ी हुई किसी वस्तु में स्थायी रूप से जुड़ी वस्तुएं सम्मिलित हैं,

(झ) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य विकास प्राधिकरण, नगर पालिका निकाय अथवा ब्रज क्षेत्र के शहरी विकास से संबन्धित किसी स्थानीय प्राधिकरण से है,

(ञ) "सदस्य" का तात्पर्य बोर्ड या कौन्सिल के सदस्य और इसमें इसके अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं, से है,

(ट) "प्रतिभागी विभाग" का तात्पर्य राज्य सरकार के विभाग अथवा मथुरा जिले में किसी स्थानीय निकाय से है,

(ठ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है,

(ड) "परियोजना योजना" का तात्पर्य ब्रज विकास योजना के एक अथवा अधिक घटकों को कार्यान्वित करने हेतु तैयार विस्तृत योजना से है,

(ढ) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाये गये विनियमों से है,

(ण) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम से है।

अध्याय दो

ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड

बोर्ड का गठन तथा
निगमन

3—(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, एक बोर्ड का गठन करेगी, जोकि ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड कहा जायेगा।

(2) बोर्ड एक निगमित निकाय होगा।

(3) बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-

(क) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, जो कि बोर्ड के अध्यक्ष होंगे,

- (ख) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन जो कि बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष होंगे,
 (ग) प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
 पदेन,
 (घ) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, पदेन,
 (ङ) प्रमुख सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, पदेन,
 (च) प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, पदेन,
 (छ) प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, पदेन,
 (ज) प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, पदेन,
 (झ) प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, पदेन,
 (ञ) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, पदेन,
 (ट) मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल, आगरा, पदेन,
 (ठ) जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा, पदेन,
 (ड) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, पदेन,
 (ढ) बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो कि सदस्य-सचिव होंगे,
 (ण) उपाध्यक्ष, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा पदेन,

(त) ब्रज क्षेत्र की विरासत के संरक्षण के लिए किये गये प्रयत्नों के सम्बन्ध में ज्ञान, अनुभव, अभिज्ञता और ट्रैक रिकार्ड रखने वाले पाँच विख्यात व्यक्तियों को अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, पर्यटन तथा प्रमुख सचिव, संस्कृति, के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया जायेगा,

(थ) बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त 10 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक दान देने वाले दानदाता नामनिर्दिष्ट सदस्य के रूप में विचार किये जाने हेतु पात्र होंगे।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (त) और खण्ड (थ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के कार्यकाल की निबन्धन और शर्तें वैसी होंगी, जैसी विहित की जाय।

4-(1) बोर्ड का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव रैंक के अधिकारियों से अनिम्न अधिकारियों से की जायेगी।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और बोर्ड द्वारा नियुक्त समस्त अधिकारी और कर्मचारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन होंगे।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड की निधि से ऐसे वेतन और भत्ते को प्राप्त करने का हकदार होगा तथा सेवा की ऐसी शर्तों से शासित होगा जैसा कि राज्य सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित किया गया हो।

(4) बोर्ड के समस्त आदेश और विनिश्चय और अन्य लिखित, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत होंगे।

5-(1) किसी आपात की स्थिति की दशा में या अन्य समय सम्बन्धी मामलों में जब पूरे बोर्ड का इकट्ठा होना व्यवहारिक न हो, की स्थिति में बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों के प्रयोग के लिए एक कार्यकारिणी समिति होगी। कार्यकारिणी समिति में बोर्ड के समस्त पदेन सदस्य होंगे तथा उसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

(2) बोर्ड, अपनी अगली बैठक में कार्यकारिणी समिति के कार्यवृत्त की समीक्षा करेगा तथा कार्यकारिणी समिति द्वारा की गयी कार्यवाहियों को उपांतरित, अस्वीकार अथवा अनुसमर्थित करेगा।

6-(1) बोर्ड, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात यथाशक्य जैसी भी स्थिति हो, बोर्ड के कृत्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करने के लिए एक कौन्सिल का गठन करेगा, जो कि नियोजन और विकास कौन्सिल कही जायेगी।

(2) कौन्सिल निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- (क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो कि अध्यक्ष होगा,
 (ख) जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा, पदेन,
 (ग) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा, पदेन,
 (घ) उपाध्यक्ष, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा, पदेन,
 (ङ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कैंटोनमेन्ट बोर्ड, मथुरा अथवा उनके द्वारा नामित, जो कि सशस्त्र सेना में कैंप्टन रैंक से अनिम्न स्तर का हो, पदेन,
 (च) एसोसियेट प्लानर, नगर एवं ग्राम नियोजन, आगरा, मण्डल, आगरा, पदेन,
 (छ) मथुरा जिले के प्रत्येक स्थानीय निकाय के अध्यक्ष, पदेन,
 (ज) मुख्य अभियन्ता, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा, पदेन,
 (झ) अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मथुरा, पदेन,
 (ञ) अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई विभाग, मथुरा, पदेन,
 (ट) अधीक्षण अभियन्ता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (शहरी एवं ग्रामीण), मथुरा, पदेन:
 (ठ) अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, मथुरा, पदेन:
 (ड) जिला वन अधिकारी, मथुरा, पदेन:
 (ढ) क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा, पदेन:
 (ण) अधीक्षक, पुरातत्व, मथुरा, पदेन,
 (त) जिला पर्यटन अधिकारी, मथुरा, पदेन,
 (थ) उप निदेशक, राजकीय संग्रहालय, मथुरा, पदेन,
 (द) लैण्ड स्केप डिजायनर एवं इन्टरप्रेटिव प्लानर, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे,
 (ध) ब्रज क्षेत्र का अनुभव रखने वाले पर्यावरणविद, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे,
 (न) ब्रज क्षेत्र के सांस्कृतिक और पौराणिक इतिहास में अनुभव रखने वाले विख्यात इतिहासकार, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे,
 (प) ब्रज क्षेत्र का अनुभव रखने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार अथवा कलाकार, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे,
 (फ) प्रख्यात जिला अधिवक्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा,
 (ब) 02 प्रख्यात जनप्रतिनिधि अथवा सामाजिक कार्यकर्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे,
 (म) बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक किन्तु 10 करोड़ रुपये से कम दान देने वाले दानदाता नामनिर्दिष्ट सदस्य के रूप में विचार किये जाने हेतु पात्र होंगे,

(3) उपधारा (2) के खण्ड (द),(घ),(न),(प),(फ),(ब) और (म) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के कार्यालय की निबन्धन और शर्तें वैसी होंगी, जैसी विहित की जाय।

सहयोजित
करने की
शक्ति

7-(1) बोर्ड अथवा कौन्सिल, किसी समय और ऐसी अवधि के लिए, जिसे वे उचित समझे, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को बोर्ड अथवा कौन्सिल के सदस्य अथवा सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकते हैं,

(2) उपधारा (1) के अधीन सहयोजित कोई व्यक्ति यथा स्थिति बोर्ड अथवा कौन्सिल, के सदस्य के समस्त शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन और प्रयोग करेगा, परन्तु मत देने का हकदार न होगा।

- 8-बोर्ड का मुख्यालय मथुरा में होगा। बोर्ड का मुख्यालय
- 9-बोर्ड ऐसे समय और ऐसे स्थान पर बैठक करेगा जैसा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। बोर्ड की बैठक
- 10-कौन्सिल ऐसे समय पर बैठक करेगी जैसा कि कौन्सिल के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाय परन्तु दो क्रमिक बैठकों का समय एक कैलेण्डर वर्ष की तिमाही से अधिक न होगा। कौन्सिल की बैठक
- 11-बोर्ड या कौन्सिल का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिविट के होने के कारण या यथास्थिति बोर्ड या कौन्सिल के गठन में किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी। कौन्सिल या बोर्ड की कार्यवाहियों, रिविटों आदि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी

अध्याय-तीन

बोर्ड और कौन्सिल की शक्तियाँ और कृत्य

- 12-बोर्ड की शक्तियों में निम्नलिखित शक्तियाँ सम्मिलित हैं:- बोर्ड की शक्तियाँ
- (क) ब्रज विकास योजना और परियोजना के बनाने, प्रवर्तन और कार्यान्वयन से संबंधित प्रतिभागी विभागों से प्रतिवेदन और सूचनाएं माँगना,
- (ख) यथा स्थिति योजना या परियोजना ब्रज संस्कृति और स्थापत्य के अनुरूप बनाने, प्रवर्तन और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना,
- (ग) योजना के कार्यान्वयन के चरणों को इंगित करना,
- (घ) योजना और परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करना,
- (ङ) प्रतिभागी विभागों से प्राप्त विस्तृत परियोजना का चयन और अनुमोदन करना, प्राथमिकता विकास को मंगाना और ऐसी परियोजना के, जैसा बोर्ड उचित समझे, कार्यान्वयन के लिए सहायता देना,
- (च) सेवाओं और सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए या उनके अनुरक्षण और विकास के लिए पर्यटकों से फीस या शुल्क उदग्रहित करना,
- (छ) सम्पूर्ण ब्रज क्षेत्र में किसी भाग के विकास पुनर्विकास और सौन्दर्यीकरण को बढ़ाने और सुरक्षित करने के उद्देश्य से स्वप्रेरणा से किसी कार्य या परियोजना को लेना,
- (ज) किसी परियोजना की योजना के तैयार और कार्यान्वित करने के लिए कार्यदायी अभिकरण का चयन करना,
- (झ) ऐसे अन्य कृत्य, जिन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों को पूरा करने के लिए यह आवश्यक समझे, कौन्सिल को सौंपना।

13-बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे :-

- (क) ब्रज विकास योजना की तैयारी सुनिश्चित करना,
- (ख) किसी भी प्रतिभागी विभाग द्वारा परियोजना तैयार करने के लिए व्यवस्था करना,
- (ग) किसी एक या अधिक प्रतिभागी विभाग या कार्यदायी अभिकरण के माध्यम से योजना या परियोजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में समन्वय करना,
- (घ) योजना में इंगित चरणों के अनुसार ब्रज क्षेत्र में परियोजना प्रतिपादन, प्राथमिकताओं का निर्धारण और पर्यटन की अवस्थापना सुविधाओं के विकास को चरणबद्ध करने और ब्रज विरासत के संरक्षण के सम्बन्ध में प्रतिभागी विभागों द्वारा समुचित और सुव्यवस्थित योजना तैयार करना सुनिश्चित करना,
- (ङ) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में व्यवसायिक जागरूकता बढ़ाने और रुचि जागृत करने की दिशा में और इसके सुव्यवस्थित रूप से सुरक्षा उपाय बढ़ाने और प्रसारित करने में सांजस्य पूर्ण प्रयत्न के लिए प्रस्ताव,

(च) नदियों के संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण और नदियों के किनारे और जलाशयों के विकास के लिए उपाय किया जाना सुनिश्चित करना,

(छ) क्षेत्र की स्थापत्य सम्पदा के अनुरूप भवनों और निर्माण में एकरूपता बनाये रखने के लिए स्थापत्य संबंधी विनियम बनाना,

(ज) सरकार विभागों स्थानीय निकायों, मन्दिर प्रबन्ध/न्यासों, स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न साझेदारों के मध्य पर्यटन अवस्थापना के एकीकृत विकास और ब्रज क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ करने बचाने, संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए कार्यकलापों/परियोजनाओं में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए नीतियाँ बनाना,

(झ) राज्य निधियों और राजस्व के अन्य संसाधनों जैसे मंदिर न्यासों, दान, गैर सरकारी संगठन, कम्पनी/फर्म और पर्यटकों आदि के माध्यम से ब्रज क्षेत्र में चयनित विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाने की व्यवस्था करना और पर्यवेक्षण करना,

कौन्सिल के कृत्य

14-(1) बोर्ड की सहायता करने में कौन्सिल के निम्नलिखित कृत्य होंगे :-

(क) ब्रज विकास योजना और परियोजना को तैयार करना और उसका समन्वित कार्यान्वयन,

(ख) प्रतिभागी विभागों या कार्यदायी अभिकरण की परियोजनाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह ब्रज विकास योजना के अनुरूप है संवीक्षा करना,

(ग) बोर्ड को ऐसे संस्तुतियाँ करना जैसी वह किसी योजना को संशोधित या रूपान्तरित करने के लिए आवश्यक समझे,

(घ) जिला स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं का समन्वय और कार्यान्वयन,

(ङ) इस अधिनियम के प्रशासन के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्य करना जैसा बोर्ड द्वारा सौंपे जायं,

(2) जिला में विभिन्न सरकारी विभाग जिनके पास विभागीय बजट स्वीकृतियाँ हैं और अन्य कार्यदायी अभिकरण अपनी-अपनी ऐसी योजनाओं/परियोजनाओं जो ब्रज विकास योजना के अधीन हैं, अभिकरण और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कौन्सिल से समन्वय भी करेगी,

अध्याय-चार

ब्रज विकास योजना और परियोजना रूप रेखा

ब्रज विकास योजना की विषय वस्तु

15-(1) ब्रज विकास योजना एक लिखित विवरण होगा और इसमें मानचित्र, रेखाचित्र, दृश्यचित्र और ऐसी विस्तृत सामग्री होगी जैसा, बोर्ड योजनाओं में अन्तर्विष्ट प्रस्तावों की व्याख्या या दृश्यचित्र के प्रयोजन से उचित समझे और ऐसा प्रत्येक मानचित्र, रेखाचित्र, दृश्यचित्र और विस्तृत सामग्री ब्रज विकास योजना का भाग समझी जायेगी,

(2) ब्रज विकास योजना वह रीति भी इंगित करेगी जिसमें ब्रज क्षेत्र में विकास सम्बन्धी कार्यकलाप चलाये जायेंगे या संरक्षित होंगे और ऐसे अन्य विषय भी होंगे जो ब्रज क्षेत्र में पर्यटन के विकास पर ब्रज विरासत संरक्षण पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव डालें और ऐसे प्रत्येक योजना में निम्नलिखित भी होंगे जो ब्रज क्षेत्र के पर्यटन की वृद्धि और सन्तुलित विकास के लिए आवश्यक हो, अर्थात्

(क) भू-उपयोग और विभिन्न उपयोगों के लिए भू-आवंटन के लिए नीति,

(ख) प्रमुख नगरीय बन्दोबस्त के तरीके और स्थापत्य सम्बन्धी विनियमों के प्रस्ताव,

(ग) भावी वृद्धि के लिए समुचित आर्थिक आधार प्रदान करने के लिए प्रस्ताव,

(घ) परिवहन और संचार साधनों जिसमें रेलवे और क्षेत्र से होकर जाने वाले मुख्य मार्ग से सम्बन्धित प्रस्ताव,

(ड) पेयजल की आपूर्ति और जल निकासी के लिए प्रस्ताव,

(च) ऐसे क्षेत्रों को इंगित किया जाना जिन्हें "प्राथमिकता क्षेत्रों" के रूप में तत्काल विकसित किया जाना अपेक्षित हो,

(छ) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में व्यवसायिक जागरूकता बढ़ाने और रुचि जागृत करने की दिशा में और इसके सुव्यवस्थित रूप से सुरक्षा उपाय बढ़ाने और प्रसारित करने में सामाजिकपूर्ण प्रयत्न के लिए प्रस्ताव,

(ज) ऐसे अन्य मामले जो बोर्ड द्वारा प्रतिभागी विभागों से सहमति से ब्रज क्षेत्र को बढ़ावा देने और संतुलित विकास के लिए समुचित योजना तैयार करने के लिए सम्मिलित किये जा सकें।

16-ब्रज विकास योजना तैयार करने के लिए बोर्ड ऐसे सर्वेक्षण और अध्ययन करा सकता है जिन्हें वह उचित समझे जो ऐसे प्रतिभागी विभाग या व्यक्ति द्वारा किया जाय, जिसे इस निमित्त नियुक्त किया जाय और ऐसे विशिष्ट मामलों जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किये जायें, के सम्बन्ध में अध्ययन कराने के लिए ऐसे विशेषज्ञ या परामर्शी को सहयुक्त कर सकता है।

सर्वेक्षण और अध्ययन

17-(1) अंतिम रूप से किसी विकास योजना को तैयार करने से पहले, कौन्सिल के सहयोग से बोर्ड योजना का एक आलेख तैयार करेगा और इसकी प्रतिलिपि निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराने के लिए तैयार कराकर प्रकाशित करेगा और योजना के आलेख के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से आपत्तियाँ और सुझाव मॉगने के लिए ऐसे दिनांक से पूर्व जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय एक सूचना प्रकाशित करेगा,

ब्रज विकास योजना तैयार करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

(2) बोर्ड प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी/विभाग, जिसके स्थानीय सीमाओं के भीतर योजना द्वारा स्पर्श की जाने वाली कोई भूमि स्थित हो, को योजना के आलेख के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन करने के लिए युक्ति युक्त अवसर प्रदान करेगा,

(3) बोर्ड द्वारा प्राप्त किये गये समस्त आपत्तियों, सुझावों और प्रत्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात बोर्ड अंतिम रूप से ब्रज विकास योजना तैयार करेगा।

18-(1) अंतिम रूप से योजना तैयार कर लिये जाने के तुरन्त पश्चात बोर्ड, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाय, एक सूचना यह बताते हुए कि योजना इसके द्वारा अंतिम रूप से तैयार कर ली गयी है और उन स्थानों का नाम देते हुए जहाँ योजना की प्रतिलिपि का सभी युक्ति-युक्त समय पर निरीक्षण किया जा सकता है, प्रकाशित करेगा और पूर्वोक्त सूचना के प्रथम प्रकाशन के दिनांक से योजना परिचालन में आ जायेगी,

ब्रज विकास योजना के परिचालन में आने का दिनांक

(2) धारा-17 द्वारा यथा अपेक्षित पूर्व प्रकाशन के पश्चात योजना का प्रकाशन निश्चायक सवृत होगा कि ब्रज विकास योजना सम्यक रूप से तैयार कर ली गयी है।

19-(1) बोर्ड की उपधारा-2 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने द्वारा तैयार की गयी अंतिम योजना में ऐसे उपान्तरण कर सकता है जैसा वह उचित समझे और जो उपान्तरण उसकी राय में योजना के विशेषताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन न करते हों और जो भू-उपयोग की सीमाओं या जनसंख्या घनत्व के मानकों से संबंधित न हो,

योजना का रूपान्तरण

(2) अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना में कोई उपान्तरण करने से पहले बोर्ड, ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय एक सूचना प्रकाशित करेगा, जिसमें अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना में किये जाने वाले प्रस्तावित उपान्तरण इंगित किये जायेंगे और प्रस्तावित उपान्तरणों के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से ऐसे दिनांक से पूर्व जैसा सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, आपत्तियाँ और सुझाव आमन्त्रित करेगा और सभी आपत्तियों और सुझावों पर जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट दिनांक से पूर्व प्राप्त हों, विचार करेगा,

(3) इस धारा के अधीन किये गये सभी उपान्तरण ऐसी रीति से जैसी बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, प्रकाशित किये जायेंगे और यह उपान्तरण ऐसे प्रकाशन के दिनांक को या पश्चातवर्ती ऐसे दिनांक से जैसा बोर्ड द्वारा नियत किया जाय, प्रचलन में आ जायेंगे,

(4) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि किये जाने वाले प्रस्तावित उपान्तरण ऐसे उपान्तरण हैं जो योजना के विशेषताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हैं तो इसका निर्णय बोर्ड द्वारा किया जायेगा, और बोर्ड द्वारा इस पर किया गया निर्णय अंतिम होगा।

योजना की समीक्षा
और पुनर्निरीक्षण

20-(1) अंतिम रूप से तैयार की गयी योजना के प्रचलन में आने के दिनांक से प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात ऐसी योजना की सम्पूर्ण रूप से समीक्षा करेगा और ऐसी समीक्षा के पश्चात एक नई योजना द्वारा इसको प्रतिस्थापित करेगा या इसमें ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन कर सकेगा जैसा इसके द्वारा आवश्यक समझा जाय,

(2) जहाँ यह प्रस्तावित किया जाय कि योजना जो पूर्व में अंतिम रूप से तैयार की गयी थी, के स्थान पर एक नई योजना प्रतिस्थापित की जाय या जहाँ अंतिम रूप से तैयार की गयी योजना में कोई उपान्तरण या परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित किया जाय, यथा स्थिति ऐसी नई योजना या उपान्तरण या परिवर्तन प्रकाशित किये जायेंगे और उसी प्रकार से समझे जायेंगे मानों यह धारा-17 और 18 की निर्दिष्ट योजना थी या मानो धारा-19 के अधीन बनायी योजना में उपान्तरण या परिवर्तन थे।

परियोजना की रूप
रेखा तैयार करना,
समन्वय और
अभिसरण

21-(1) प्रतिभागी विभाग स्वयं या यथा स्थिति एक या अधिक प्रतिभागी विभागों के सहयोग से ब्रज विकास योजना की एक या अधिक विषयों के लिए परियोजना रूप रेखा तैयार करेगा,

(2) जिला में विभिन्न प्रतिभागी विभाग जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान ऋण या बजट प्रदान करते हैं, ब्रज विकास योजना के अधीन योजनाओं/परियोजनाओं के साथ अपनी-अपनी विभागीय योजनाओं का अभिसरण/समन्वय सुनिश्चित करेंगे।

अध्याय-पाँच

वित्त लेखा और संपरीक्षा

सरकार द्वारा प्रदान
किये गये अनुदान
और ऋण

22-राज्य सरकार, इस निमित्त विधि के माध्यम से बनाये गये विधान मण्डल द्वारा सम्यक विनियोग के पश्चात बोर्ड को ऐसी धनराशि का अनुदान, अग्रिम और ऋण देने के लिए चाहे जैसी भी स्थिति हो, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का कार्यान्वयन करने के लिए बोर्ड को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक विचार करेगी।

निधि का गठन

23-(1) एक निधि गठित की जायेगी जो ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड निधि कही जायेगी, एवं अपने स्वयं के पृथक बैंक खाता में पोषित होगी और

(क) धारा-22 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को कोई अनुदान और ऋण देकर,

(ख) भाग लेने वाले विभाग द्वारा बोर्ड को समस्त धनराशि भुगतान करके और

(ग) इस प्रकार अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि जैसे मंदिर, ट्रस्ट, गैरसरकारी संगठनों से दान, कम्पनी, फर्म तथा वैयक्तिक इत्यादि से, और

(घ) इस प्रकार ऐसे अन्य स्रोतों से बोर्ड द्वारा प्राप्त कोई अन्य धनराशि जो बोर्ड के साथ परामर्श करके राज्य सरकार द्वारा जैसा विनिश्चय किया जाय,

(2) ऐसी धनराशि जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि में जमा की गयी है-

(क) बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त अधिकारी और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक बैठक के लिए लागू होंगी तथा बोर्ड के अन्य प्रशासनिक व्ययों की बैठक के लिए लागू होंगी।

(ख) ब्रज क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण संचालित करने, प्रारम्भिक अध्ययन संचालित करने और योजनाओं/परियोजनाओं का लेखबद्ध करने के लिए लागू होंगी,

(ग) ब्रज विकास योजना और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए, ऐसी निबन्धन और शर्तों के अध्याधीन जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित की जाय, भाग लेने वाले विभागों और कार्यान्वित अभिकरणों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लागू होंगी,

(घ) इस अधिनियम के प्रशासन में बोर्ड द्वारा कोई अन्य व्यय उपगत करके बैठक के लिये लागू की जायेगी।

24-बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष, ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, कोई वजट, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जायेगा और राज्य सरकार को अगले वित्तीय वर्ष के कम से कम 90(नब्बे) दिन पूर्व ठीक उसी तरह प्रेषित कर दिया जायेगा।

25-बोर्ड, उस वर्ष के दौरान अपनी क्रियाकलापों की रिपोर्ट को प्रत्येक वर्ष के लिए तैयार करेगा और राज्य सरकार को ऐसे प्रारूप में एवं ऐसे दिनांक को या उस दिनांक के पूर्व, जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसी रिपोर्ट को राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रख दिया जायेगा।

26-(1) बोर्ड द्वारा समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को सुरक्षित रखा जायेगा और तुलनपत्र (बैलेन्स शीट) को सम्मिलित कर लेखाओं का वार्षिक विवरण, ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, तैयार करेगा।

(2) स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक संपरीक्षा लेखा बोर्ड के अध्यक्षीन होगा और/या राज्य सरकार, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक या किसी अन्य लेखा परीक्षक को, ऐसी निबन्धन और शर्तों पर संपरीक्षा के लिए सीप सकता है जो ऐसी रीति में, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे समय पर जैसा लेखा बोर्ड और राज्य सरकार के बीच करार पाया जाय।

(3) उपधारा-(2) के अधीन संपरीक्षा संचालित कराने वाले किसी व्यक्ति का अधिकार, प्राधिकार और सुविधाएं-

(क) स्थानीय निधि लेखा परीक्षक के मामले में, ठीक उसी तरह होंगी जैसी वह स्थानीय प्राधिकारी के लेखा की संपरीक्षा के सम्बन्ध में रखता है।

(ख) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या जैसी भी स्थिति हो, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के मामले में, ठीक उसी तरह होगी जैसी वह सरकारी लेखा की संपरीक्षा के सम्बन्ध में रखता है, और

(ग) किसी अन्य लेखा परीक्षक के मामले में, जैसी विहित की जाय,

(4) बोर्ड, राज्य सरकार की वार्षिकी या ऐसे समय पर जैसा उसके द्वारा निदेशित किया जाय, उसके आधार पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ ही अपने संपरीक्षा लेखा की एक प्रति देगा।

27-राज्य सरकार, वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट का मामला, सत्र के दौरान राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के पटल पर, उसकी प्राप्ति के पश्चात यथा शीघ्र रखा जायेगा।

राज्य विधान मण्डल के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का रखा जाना

अध्याय-छः

भूमि का अर्जन और व्ययन

28-(1) यदि राज्य सरकार की राय में, कोई भूमि इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए अपेक्षित है तो राज्य सरकार ऐसी भूमि का भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-30 सन् 2013) के उपबन्धों के अधीन अर्जन कर सकेगी।

अधिनियम के प्रयोजनार्थ भूमि का अर्जन

(2) जहाँ कोई भूमि राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गयी हो, वहाँ वह सरकार उस भूमि पर कब्जा लेने के पश्चात उस भूमि को उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह भूमि अर्जित की गयी है, बोर्ड को, उस बोर्ड द्वारा प्रतिकर का, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन दिलाया गया हो और अर्जन के सम्बन्ध में, राज्य सरकार द्वारा उपगत प्रमारों का संदाय किये जाने पर अन्तर्गत कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त दिये गये किन्हीं निदेशों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा अर्जित और बोर्ड को अन्तरित भूमि को, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, ऐसा विकास कार्य लेने या कार्यान्वित करने के पश्चात् जैसा वह ठीक समझे, ऐसे व्यक्तियों को बोर्ड द्वारा, ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन जिन्हें वह ब्रज क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए समीचीन समझे, अन्तरित कर सकेगा।

प्रयोजन में
किसी परिवर्तन
की अनुमति
नहीं

अनुपयोजित
भूमि की वापसी

29-किसी प्रयोजन को या प्रयोजनों से सम्बन्धित अपरिवर्तन को, जो धारा-28 की उपधारा-(1) में निर्दिष्ट अधिनियम में यथा उपबन्धित है, के सिवाय, जिसके लिए भूमि को मूलतः अर्जित करने के लिए अनुमति दी जायेगी।

30-जब कोई भूमि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अर्जित की जाती है तो शेष अनुपयोजित भूमि, धारा-28 की उपधारा-(1) में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार व्ययनित की जायेगी।

अध्याय-सात

विधि

विधमान विधि के
अतिरिक्त उपबन्धों
का होना

राज्य सरकार के
निदेश देने की
शक्ति

बोर्ड/कौन्सिल को
प्राविधिक सहायता

31-तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम या विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त न कि उसके अल्पीकरण में इस अधिनियम के उपबन्ध होंगे।

32-राज्य सरकार समय-समय पर ऐसे निदेश बोर्ड को दे सकता है, जैसा वह इस अधिनियम के कुशल प्रशासन हेतु उपयुक्त समझे और बोर्ड ऐसे निदेशों के अनुपालन के लिए बाध्य होगा।

33-(1) राज्य सरकार बोर्ड को ऐसे प्राविधिक सहायता प्रदान करने के लिए अपने विभागों को निदेश ऐसे निबन्धन और शर्तों पर देगा जिस पर आपस में सहमति बना हो और जैसा वह इसके लिए आवश्यक समझे।

(2) सामर्थ्यकारी कौन्सिल अपने कृत्यों को उन्मोचन करने की दृष्टि से, बोर्ड उप-धारा(1) के अधीन उसके द्वारा प्राप्त प्राविधिक सहायता में से कौन्सिल को ऐसे प्राविधिक सहायता उपलब्ध करायेंगा जैसा कौन्सिल अपेक्षा करें।

बोर्ड के अधिकारियों
और कर्मचारियों

34-(1) राज्य सरकार दो उपयुक्त व्यक्तियों को क्रमशः बोर्ड के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी जो ऐसे शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे जैसा विनियमों द्वारा विहित किये जायें या बोर्ड या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित किये जायें।

(2) ऐसे नियंत्रण और निबंधन के अधीन जैसा राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विहित किया जाय, बोर्ड अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की ऐसी संख्या को नियुक्त कर सकता है, जैसा इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के कुशल उन्मोचन के लिए आवश्यक हो और किसी नियमावली के अधीन जो इस निमित्त बनाया जा सके, ऐसे पदों पर नियुक्त कर सकता है और यथा नियुक्त व्यक्तियों के पद नामों और श्रेणियों को विहित कर सकता है।

(3) अर्हता, सेवा के नियम और शर्तें और उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारी तथा कर्मचारियों के कृत्यों और कर्तव्यों, ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें।

(4) अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त अधिकारी और बोर्ड के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों बोर्ड के निधि से ऐसे वेतन और भत्तों को प्राप्त करने के हकदार होंगे जैसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय।

प्रतिनिधायन

35-बोर्ड, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देशित कर सकता है कि इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन अपने द्वारा निष्पादित कृत्यों या प्रयुक्त शक्तियों (विकास योजना को स्वीकृत करने और विनियम बनाने की शक्ति से भिन्न शक्ति), या कृत्य कर्तव्यों का निष्पादन, प्रयोग या उन्मोचन, ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट हो, के अधीन ऐसे अधिकारियों द्वारा भी किया जा सकता है जैसाकि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय और जहाँ ऐसी शक्ति का प्रतिनिधायन किसी अधिकारी को किया जाय वहाँ ऐसा अधिकारी, जिसे उक्त अधिकार का प्रतिनिधायन किया जाय, उन शक्तियों का निष्पादन, प्रयोग या उन्मोचन करेगा।

36-इस निमित्त बनाये गये किसी भी नियम के रहते हुए, बोर्ड द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी भूमि या परिसर में सभी युक्ति-युक्त समय पर प्रवेश कर सकता है और विधिपूर्वक किसी कार्य को करने के प्रयोजन से ऐसे कार्य जैसा आवश्यक समझा जाय, कर सकता है या इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा किसी शक्ति के निष्पादन या किसी कृत्य के सम्पादन के लिए प्रारम्भिक या आनुषंगिक कोई सर्वेक्षण, परीक्षण या निरीक्षण कर सकता है.

प्रवेश की शक्ति

परन्तु यह कि ऐसा कोई भी व्यक्ति कब्जेदार को इस आशय की लिखित सूचना कम से कम तीन दिन पूर्व दिये बिना किसी भवन या जुड़े हुए किसी मैदान या किसी रिहायशी घर से लगे हुए बाग में प्रवेश नहीं करेगा।

37-बोर्ड के अधिकारी और अन्य कर्मचारी इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में कोई कार्य या कार्य करने के लिए तात्पर्यित होने के समय भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या-45, सन् 1860) की धारा-21 के अधीनगत लोक सेवक समझे जायेंगे।

बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी लोकसेवक होंगे

38-बोर्ड या कौन्सिल या बोर्ड के किसी सदस्य या किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी, जिसमें बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है, के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कृत्य के निष्पादन के या इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किये गये किसी भी कार्य या करने के लिए आशयित कोई वाद अभियोजन या विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं होगी।

सद्भावपूर्वक किये गये कार्यों का संरक्षण

39-(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रयोजनों को पूरा करने के लिए कोई नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

(2) पूर्ववर्ती शक्तियों की सामान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित मामलों के सभी या किसी की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्,

(क) धारा-3 की उपधारा-(4) और धारा-6 की उपधारा-(3) द्वारा यथा अपेक्षित सदस्यों के पदों के निबन्धन और शर्तें,

(ख) धारा-17 की उपधारा-(1) और धारा-19 की उपधारा-(2) के अधीन प्रकाशित की जाने वाली सूचना का प्रारूप और रीति,

(ग) धारा-18 की उपधारा-(1) के अधीन प्रकाशित की जाने वाली सूचना की रीति,

(घ) कोई अन्य मामले जिन्हें विहित किया जाना है या विहित किया जाय या जिसके सम्बन्ध में नियमों द्वारा व्यवस्था की जानी है या की जाय।

40-(1) बोर्ड राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे विनियम बना सकता है, जो इस अधिनियम से असंगत न हो और इस अधिनियम के उपबन्धों को पूरा करने के लिए तदधीन नियम बना सकता है।

विनियम बनाने की शक्ति

(2) विशिष्ट और पूर्ववर्ती शक्ति की सामान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम में निम्नलिखित सभी या किसी की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :-

(क) ऐसी रीति और ऐसे प्रयोजनों जिनके लिये बोर्ड धारा-16 के अधीन किसी व्यक्ति को अपने साथ सहयुक्त कर सकता है।

(ख) धारा-34 की उपधारा-(3) के अधीन बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की निबन्धन और शर्तें।

(ग) कोई अन्य मामले जिनके लिए विनियम द्वारा व्यवस्था की जानी है या की जाय।

41-(1) जब राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि जिन प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के अधीन बोर्ड गठित किया गया था उन्हें सारवान रूप से प्राप्त कर लिया गया है या बोर्ड अपने उद्देश्यों में विफल रहा है, जिसके कारण राज्य सरकार की राय में बोर्ड का निरन्तर अस्तित्व में रहना आवश्यक नहीं रह गया है तो, राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि बोर्ड ऐसे दिनांक से जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, विघटित हो जायेगा, और तदनुसार बोर्ड विघटित समझा जायेगा।

बोर्ड का विघटन

(2) उक्त दिनांक से -

(क) सभी सम्पत्तियाँ, निधियाँ और देयतायें जो बोर्ड में निहित थीं या बोर्ड से वसूली जानी थी, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगी या उससे वसूली योग्य हो जायेंगी;

(ख) सभी दायित्व जो बोर्ड के विरुद्ध प्रवर्तनीय थे, राज्य सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय हो जायेंगे;

(ग) किसी विकास कार्य को पूरा करने के प्रयोजन से जिसे बोर्ड द्वारा पूर्ण रूप से नहीं किया गया है और सम्पत्ति, निधियाँ और देयताओं जो खण्ड-क में निर्दिष्ट हैं की वसूली के प्रयोजन से बोर्ड के कृत्यों का निष्पादन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(3) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि यह राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार बोर्ड के पुनर्गठन को रोकती है।

कठिनाईयों दूर करने की शक्ति

42-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी अवधि के दौरान जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय। ऐसे अनुकूलनों चाहे उपान्तरण बढ़ाये जाने या निकाले जाने के रूप में हो जैसा वह आवश्यक और समीचीन समझे, प्रभावी होंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात नहीं किया जायेगा।

उद्देश्य एवं कारण

भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली होने के कारण ब्रज क्षेत्र की महत्ता सर्वविदित है। जनपद मथुरा में स्थित ब्रज क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक स्थल हैं, जहां भारत के विभिन्न क्षेत्रों और विदेशों से आस्था एवं निष्ठा रखने वाले व्यक्ति आते हैं। ढाँचागत एवं अन्य सुविधाओं के अभाव में उन्हें विभिन्न प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। जनपद मथुरा में विभागवार विकास कार्य किये जाने हैं, किन्तु विभिन्न विभागों के मध्य समन्वित विकास कार्य के लिए कोई अभिकरण नहीं है। इसलिए ब्रज विरासत को सुरक्षित, अनुरक्षित एवं विकसित करने और जनपद मथुरा में कार्य कर रहे विभिन्न विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं का अनुश्रवण और समन्वय करके एकीकृत विकास करने के लिए एक अभिकरण की आवश्यकता है। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि एक विधि बनाकर जनपद मथुरा स्थित ब्रज क्षेत्र के समन्वित एवं योजनाबद्ध विकास करने हेतु "ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड" की स्थापना की जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड विधेयक, 2015 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अनिरुद्ध सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 452(2)/LXXIX-V-1-15-1(ka)-8-2015
Dated Lucknow, April 6, 2015

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Braj Niyojan Aur Vikas Board Adhiniyam, 2015 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 2015) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 2, 2015.

THE UTTAR PRADESH BRAJ PLANNING AND DEVELOPMENT BOARD ACT, 2015

(U.P. Act no. 5 of 2015)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for the constitution of a Planning and Development Board for the preparation of a plan for preserving, developing and maintaining the aesthetic quality of Braj Heritage in all hues- cultural, ecological and architectural, co-ordinating and monitoring the

implementation of such plan and for evolving harmonized policies for integrated tourism development and heritage conservation and management in the region, giving advice and guidance to any Department/Local body/Authority in the District of Mathura in respect of any plan, project or any development proposal which affects or is likely to affect the heritage resources of the Braj region and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER I

Preliminary

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Braj Planning and Development Board Act, 2015.

Short title, extent and commencement

(2) It extends to the Braj region situated within the revenue District of Mathura in Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires:-

Definitions

(a) "Board" means the Braj Planning and Development Board constituted under section 3;

(b) "Braj Development Plan" means the plan prepared under this Act for the development of the Braj region and for the development of infrastructure facilities for tourism and conservation of the Heritage, both tangible and intangible, in Braj region;

(c) "Braj Region" means the whole of the Braj region situated within the revenue district of Mathura in Uttar Pradesh;

(d) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer of the Board appointed under section 4;

(e) "Council" means the Council constituted under section 6;

(f) "Executive Committee" means the Committee constituted under sub-section (1) of section 5;

(g) "Implementing agency" means a department of the State Government or a Local Body in Mathura district or a public undertaking under the jurisdiction of the State Government or the Government of India.

(h) "Land" includes benefits to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth;

(i) "Local body" means a Development Authority, Municipal Body or any other local authority concerned with the urban development of the Braj region;

(j) "Member" means a member of the Board or the Council and includes its Chairman;

(k) "Participating Department" means the State Government Department or a Local Body in Mathura District;

(l) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(m) "Project Plan" means a detailed plan prepared to implement one or more elements of the Braj Development Plan;

(n) "Regulations" means regulations made by the Board under this Act;

(o) "Rule" means a rule made under this Act by the State Government.

CHAPTER II

The Braj Planning and Development Board

3. (1) The State Government shall, by notification in the *Gazette*, constitute for the purposes of this Act, a Board, to be called The Braj Planning and Development Board;

Constitution and incorporation of the Board

(2) The Board shall be a body corporate.

(3) The Board shall consist of the following members, namely:-

(a) the Chief Minister, Uttar Pradesh who shall be the Chairman of the Board;

(b) the Chief Secretary, Uttar Pradesh Government who shall be the Vice-Chairman of the Board, *ex officio*;

(c) the Principal Secretary to the State Government in the Department of Housing and Urban Planning, *ex officio*;

(d) the Principal Secretary to the State Government in the Department of Finance, *ex officio*;

(e) the Principal Secretary to the State Government in the Department of Tourism and Culture, *ex officio*;

(f) the Principal Secretary to the State Government in the Department of Urban Development, *ex officio*;

(g) the Principal Secretary to the State Government in the Department of Transport, *ex officio*;

(h) the Principal Secretary to the State Government in the Department of Forest, *ex officio*;

(i) the Principal Secretary to the State Government in the Department of Environment, *ex officio*;

(j) the Principal Secretary to the State Government in the Department of Public Works, *ex officio*;

(k) the Commissioner, Agra Division, Agra, *ex officio*;

(l) the District Magistrate, Mathura, *ex officio*;

(m) the Chief Town and Country planner, Uttar Pradesh, *ex officio*;

(n) the Chief Executive Officer of the Board who shall be the Member-Secretary;

(o) the Vice-Chairman, Mathura-Vrindavan Development Authority, Mathura, *ex officio*;

(p) five eminent public figure having knowledge, experience, exposure and track record of efforts for the conservation of heritage of Braj Region, to be nominated by the Chairman in consultation with the Principal Secretary Culture and Principal Secretary Tourism to the State Government;

(q) donors who make a donation of Rs. 10 crores or more shall be eligible to be considered as a nominated member after the approval of the Board.

(4) The terms and conditions of office of the members nominated under clause (p) and clause (q) of sub-section (3) shall be such as may be prescribed.

The Chief
Executive Officer

4. (1) There shall be the Chief Executive Officer of the Board to be appointed by the State Government from amongst the officers not below the rank of Special Secretary of the State Government.

(2) The Chief Executive Officer shall be the whole-time officer of the Board and all the officers and employees appointed by the Board shall be under the administrative control of the Chief Executive Officer.

(3) The Chief Executive Officer shall be entitled to receive from the fund of the Board such salaries and allowances and be governed by such conditions of service as may be determined by general or special order of the State Government in this behalf.

(4) All orders and decisions and other instruments of the Board shall be authenticated by the signature of the Chief Executive Officer.

The Executive
Committee

5. (1) There shall be an Executive Committee to exercise the powers and the functions of the Board in the event of an emergent or other time-sensitive matter when it is not practicable to assemble the entire Board. The Executive Committee shall comprise all the ex-officio members of the Board and shall be chaired by the Vice-Chairman.

(2) The Board shall, in its next meeting, review the minutes of the Executive Committee and may modify, reject or ratify the actions taken by the Executive Committee.

Composition of
the Braj Planning
and Development
Council

6. (1) The Board shall, as soon as may be, after the commencement of this Act, constitute a Council, to be called the Planning and Development Council, for assisting the Board in the discharge of its functions.

(2) The Council shall consist of the following members, namely:-

- (a) the Chief Executive Officer, who shall be the Chairman;
- (b) the District Magistrate, Mathura, *ex officio*;
- (c) the Senior Superintendent of Police, Mathura, *ex officio*;
- (d) the Vice-Chairman, Mathura-Vrindavan Development Authority, Mathura, *ex officio*;
- (e) the Chief Executive Officer Cantonment Board, Mathura or his nominee not below the rank of the Captain in the army, *ex officio*;
- (f) the Associate Planner, Town and Country Planning, Agra Division, Agra, *ex officio*;
- (g) the Chairman of every Local Body in the Mathura District, *ex officio*;
- (h) the Chief Engineer, Mathura-Vrindavan Development Authority, Mathura, *ex officio*;
- (i) the Superintending Engineer, Public Works Department, Mathura, *ex officio*;
- (j) the Superintending Engineer, Irrigation Department, Mathura, *ex officio*;
- (k) the Superintending Engineer, Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited (Urban & Rural), Mathura, *ex officio*;
- (l) the Superintending Engineer, Jal Nigam, Mathura, *ex officio*;
- (m) the District Forest Officer, Mathura, *ex officio*;
- (n) the Regional Officer, Pollution Control Board, Mathura, *ex officio*;
- (o) the Archaeological Superintendent, Mathura, *ex officio*;
- (p) the District Tourism Officer, Mathura, *ex officio*;
- (q) the Deputy Director, Government Museum, Mathura, *ex officio*;
- (r) a Landscape Designer & Interpretive planner, to be nominated by the State Government;
- (s) an Environmentalist having experience of The Braj region, to be nominated by the State Government;
- (t) an Eminent historian having experience in the cultural and mythological history of Braj Region, to be nominated by the State Government;
- (u) a Litterateur or an Artist of repute having experience of the Braj region, to be appointed by the State Government;
- (v) an Eminent district lawyer, to be appointed by the State Government;
- (w) two eminent public representative or Social Worker, to be appointed by the State Government;
- (x) donors who make a donation of Rs. 5 crores or more but less than Rs. 10 crores shall be eligible to be considered as a nominated member after the approval of the Board.

(3) The terms and conditions of office of the members nominated under clause (r), (s), (t), (u), (v), (w) and (x) of sub-section (2) shall be such as may be prescribed.

7. (1) The Board or the Council may, at any time and for such period as it thinks fit, co-opt any person or persons as a member or members of the Board or of the Council.

Power to co-opt

(2) A person co-opted under sub-section (1) shall exercise and discharge all the powers and functions of a member of the Board or of the Council, as the case may be, but shall not be entitled to vote.

Headquarters of
the Board
Meetings of
The Board

8. The headquarters of the Board shall be at Mathura.

Meetings of
The council

9. The Board shall meet at such times and at such place as may be determined by the Board from time to time.

Vacancies, etc. not
to invalidate
proceedings of the
Board of the
Council

10. The Council shall meet at such times as may be decided by the Chairman of the Council but the time of two consecutive meetings shall not exceed the quarter of a calendar year.

11. No act or proceeding of the Board or of the Council shall be invalid merely by reason of the existence of any vacancy in, or any defect in the constitution of the Board or the Council as the case may be.

CHAPTER III

Powers and Functions of the Board and of the Council.

Powers of the
Board

12. The powers of the Board shall include the powers to-

(a) call for reports and information from the Participating Departments with regard to preparation, enforcement and implementation of the Braj Development Plan and the Projects;

(b) ensure that the preparation, enforcement and implementation of the Plan or the Project, as the case may be, is in conformity with the Braj Culture and Architecture;

(c) indicate the stages for the implementation of the Plan ;

(d) review the implementation of the Plan and the Projects;

(e) select and approve comprehensive projects from the Participating Departments, call for priority development and provide such assistance for the implementation of those projects as the Board may deem fit ;

(f) levy fee or charges for providing services and facilities or for maintenance and development thereof from the tourists;

(g) *suo-moto* take up any work/project in order to promote and secure the development, re-development and beautification of any area in the entire Braj region;

(h) select an Implementing Agency for preparation and implementation of any Project plan;

(i) entrust to the Council such other functions as it may consider necessary to carry out the provisions of this Act.

Functions of the
Board

13. The functions of the Board shall be -

(a) to ensure the preparation of the Braj Development Plan;

(b) to arrange for the preparation of projects by any of the Participating Departments;

(c) to co-ordinate the enforcement and implementation of the Plan and the Project through any one or more of the Participating Departments or Implementing Agency;

(d) to ensure proper and systematic programming by the participating departments in regard to project formulation, determination of priorities in the Braj region and phasing of development of infrastructural facilities for tourism and conservation of the Braj Heritage in accordance with stages indicated in the Plan;

(e) to make concerted efforts in the direction of professionally enhancing awareness and interest in intangible cultural heritage, safeguarding, promoting and propagating it systematically;

(f) to ensure conservation of rivers and undertake measures for pollution control and development of river fronts and water bodies;

(g) to formulate Architectural Regulations to bring about an uniformity of the buildings and structures in conformity with the heritage architecture of the region;

(h) to formulate policies to ensure co-ordination between various stakeholders- Government Departments, Local Bodies, Temple Management/Trusts, Self Help Groups, Researchers and Scholars- for integrated development of tourism infrastructure and activities/projects for strengthening, protecting, preserving and promoting the rich cultural heritage of the Braj region;

(i) to arrange for, and oversee, the financing of selected development projects in the Braj region through State funds and other sources of revenue like funds from Temple Trusts, donations, Non-government Organization, company/firms and tourists, etc.

14. (1) The functions of the Council shall be to assist the Board in-

Functions of the Council

(a) the preparation and co-ordinated implementation of the Braj Development Plan and the Projects;

(b) scrutinizing the projects of the Participating Department or, an Implementing Agency to ensure that the same are in conformity with the Braj Development Plan;

(c) make such recommendations to the Board as it may think necessary to amend or modify any Plan;

(d) co-ordinate and implement different projects at the district level;

(e) perform such other functions, in connection with the administration of this Act, as may be entrusted to it by the Board.

(2) Different government departments in the district having departmental budget sanctions and other implementing agencies shall also co-ordinate with the Council to ensure convergence and co-ordination of their schemes/projects with those which are under the Braj Development Plan.

CHAPTER IV

The Braj Development Plan and the Project Plans

15. (1) The Braj Development Plan shall be a written statement and shall be accompanied by such maps, diagrams, illustrations and descriptive matters, as the Board may deem appropriate for the purpose of explaining or illustrating the proposals contained in the Plan and every such map, diagram, illustration and descriptive matter shall be deemed to be a part of the Braj Development Plan.

Contents of the Braj development Plan

(2) The Braj Development Plan shall indicate the manner in which the development activities in the Braj region shall be carried out or conservation and such other matters as are likely to have any important influence on the development of the tourism in Braj region and conservation of Braj Heritage and every such Plan shall include the following elements needed to promote growth of tourism and balanced development of the Braj Region, namely:-

(a) the policy in relation to land-use and the allocation of land for different uses;

(b) the proposals for major urban settlement pattern and architectural regulations;

(c) the proposals for providing suitable economic base for future growth;

(d) the proposals regarding transport and communications including railways and arterial roads serving the region;

(e) the proposals for the supply of drinking water and for drainage;

(f) indication of the areas which require immediate development as "priority areas";

(g) the proposals for concerted efforts in the direction of professionally enhancing awareness and interest in intangible cultural heritage, safeguarding, promoting and propagating it systematically;

(h) such other matters as may be included by the Board with the concurrence of the Participating Departments for the proper planning for the growth and balanced development of the Braj Region.

Surveys and
Studies

16. For the preparation of the Braj Development Plan, the Board may cause such surveys and studies, as it may consider necessary, to be made by such Participating Departments or persons as it may appoint in this behalf and may also associate such experts or consultants for carrying out studies in relation to such specific matters as may be determined by the Board.

Procedure to be
followed for
preparation of the
Braj Development
Plan

17. (1) Before preparing any Development Plan finally, the Board shall prepare with the assistance of the Council, a Plan in draft and publish it by making a copy thereof available for inspection and publishing a notice in such form and in such manner as may be prescribed, inviting objections and suggestions from any person with respect to the draft Plan before such date as may be specified in the notice.

(2) The Board shall also give reasonable opportunities to every local authority/ department, within whose local limits any land touched by the Plan is situate, to make any representation with respect to the draft Plan.

(3) After considering all objections, suggestions and representations that have been received by the Board, the Board shall finally prepare the Braj Development Plan.

Date of coming
into operation of
the Braj
Development Plan

18. (1) Immediately after the Plan has been finally prepared, the Board shall publish, in such manner as may be prescribed, a notice stating that the Plan has been finally prepared by it and naming the places where a copy of the Plan may be inspected at all reasonable hours and upon the date of first publication of the aforesaid notice, the Plan shall come into operation.

(2) The publication of the Plan, after previous publication, as required by section 17, shall be conclusive proof that the Braj Development Plan has been duly prepared.

Modifications of
the plan

19. (1) The Board may, subject to the provisions of sub-section (2), make such modifications in the Plan as finally prepared by it, as it may think fit, being modifications which, in its opinion, do not effect important alterations in the character of the Plan and which do not relate to the extent of land-uses or the standards of population density.

(2) Before making any modifications in the finally prepared Plan the Board shall publish a notice in such form and in such manner as may be prescribed, indicating therein the modifications which are proposed to be made in the finally prepared Plan, and inviting objections and suggestions from any person with respect to the proposed modifications before such date as may be specified in the notice and shall consider all objections and suggestions that may be received by it on or before the date so specified.

(3) Every modification made under this section shall be published in such manner as the Board may specify and the modifications shall come into operation either on the date of such publication or on such later date as the Board may fix.

(4) If any question arises whether the modifications proposed to be made are modifications which effect important alterations in the character of the Plan, it shall be decided by the Board whose decision thereon shall be final.

20. (1) After every five years from the date of coming into operation of the finally prepared Plan, the Board shall review such Plan in its entirety and may, after such review, substitute it by a fresh Plan or may make such modifications or alterations therein as may be found by it to be necessary.

Review and revision of the Plan

(2) Where it is proposed to substitute a fresh Plan in place of the Plan which was previously finally prepared or where it is proposed to make any modifications or alterations in the finally prepared Plan, such fresh Plan or, as the case may be, modifications or alterations, shall be published and dealt with in the same manner as if it were the Plan referred to in sections 17 and 18 or as if they were the modifications or alterations in the Plan made under section 19.

21. (1) A Participating Department may, by itself or in collaboration with one or more of the participating departments as the case may be, prepare Project Plans for one or more elements of the Braj Development Plan.

Preparation of the Project Plan, co-ordination and convergence

(2) Various participating departments in the district, receiving grants, loans or budget sanctioned by the State Government, shall ensure convergence / co-ordination of their departmental schemes with the schemes/ projects under the Braj development Plan.

CHAPTER V

Finance, Accounts and Audit

22. The State Government may, after due appropriation made by Legislature by law in this behalf, make to the Board grants, advances and loans of such sums of money as it may consider necessary to enable the Board to carry out its functions under this Act.

Grants and loans by the Government

23. (1) There shall be constituted a Fund to be called the Braj Planning and Development Board Fund, to be maintained in a separate bank account of its own, and there shall be credited thereto -

Constitution of the Fund

(a) any grants and loans made to the Board by the State Government under section 22;

(b) all sums paid to the Board by the participating departments; and

(c) sums received from other sources such as Temple Trusts, donations from Non-government Organizations, companies, firms and individuals, etc.; and

(d) any other sums received by the Board from such other sources as may be decided upon by the State Government in consultation with the Board.

(2) The sums credited to the Fund referred to in sub-section (1) shall be applied for -

(a) meeting the salaries, allowances and other remuneration of the Chief Executive Officer, Additional Chief Executive Officer, the Finance Officer and other officers and employees of the Board and for meeting other administrative expenses of the Board;

(b) conducting surveys, preliminary studies and drawing up of plans/projects for the Braj Region;

(c) providing financial assistance to the Participating Departments and Implementing Agencies for the implementation of Braj Development Plan and the projects subject to such terms and conditions as may be decided by the Board;

(d) meeting any other expenses incurred by the Board in the administration of this Act.

24. The Board shall prepare in such form and at such time every year, as the State Government may specify, a budget for the financial year next ensuing and forward the same to the State Government at least 90 (ninety) days prior to the commencement of the next financial year.

Budget

Annual Report

25. The Board shall prepare for every year a report of its activities during that year and submit the report to the State Government in such form and on or before such date as the State Government may specify and such report shall be laid before both Houses of the State Legislature.

Accounts and audit

26. (1) The Board shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the balance sheet in such form as the State Government may specify.

(2) The accounts of the Board shall be subject to audit annually by the Examiner, Local Fund Accounts and/or the State Government may entrust the audit to the Accountant General, Uttar Pradesh or Comptroller and Auditor General of India or to any other Auditor on such terms and conditions, in such manner, for such period and at such times as may be agreed upon between him and the State Government.

(3) The rights, authority and privileges of any person conducting audit under sub-section (2) shall.-

(a) in the case of Examiner, Local Fund Accounts, be the same as he has in connection with the audit of the accounts of local authority;

(b) in the case of the Accountant General, Uttar Pradesh or, as the case may be, the Comptroller and Auditor General of India, be the same as he has in connection with the audit of Government accounts; and

(c) in the case of any other auditor, be as prescribed;

(4) The Board shall furnish, to the State Government annually or at such times as may be directed by it, a copy of its audited accounts together with the auditors' report thereon.

Annual report and Auditor's report to be laid before the State Legislature

27. The State Government shall cause the annual report and the auditors' report to be laid as soon as may be after their receipts, on the table of each House of the State Legislature while it is in session.

CHAPTER VI

Acquisition and Disposal of Land

Acquisition of Land for the purpose of the Act

28. (1) If, in the opinion of the State Government, any land is required for the purpose of the development or for any other purpose under this Act, the State Government may acquire such land under the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 [Act no. 30 of 2013].

(2) Where any land has been acquired by the State Government it may, after it has taken possession of the land, transfer the land to the Board for the purpose for which the land has been acquired on payment by the Board of the compensation awarded under the Act referred to in sub-section (1) and of the charges incurred by the State Government in connection with the acquisition.

(3) Subject to any directions given by the State Government in this behalf, the land acquired by the State Government and transferred to the Board can be transferred by the Board to such persons, in such manner and subject to such terms and conditions as it may consider expedient for securing the development of the Braj region after undertaking or carrying out such development as it thinks fit for the purpose of this Act.

No change of purpose allowed

29. No change of purpose or related purposes for which land is originally sought to be acquired shall be allowed except for as provided in the Act referred to in sub-section (1) of section 28.

Return of unutilized land

30. When any land acquired for the purpose of this Act remains unutilized it shall be disposed of according to the provisions of the Act referred to in sub-section (1) of section 28.

CHAPTER VII

Miscellaneous

31. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other Act or law for the time being in force Provisions to be in addition to existing laws
32. The State Government may, from time to time, give such directions to the Board as it may think fit for the efficient administration of this Act and the Board shall be bound to comply with such directions. Power of the State Government to give directions
33. (1) The State Government may direct any of its Departments to provide, on such terms and conditions as may be mutually agreed upon, such technical assistance to the Board as it may consider necessary. Technical Assistance to the Board/ Council
- (2) With a view to enabling the Council to discharge its functions, the Board shall, out of the technical assistance received by it under subsection (1) make available to the Council such technical assistance as the Council may require.
34. (1) The State Government may appoint two suitable persons respectively as Additional Chief Executive Officer and the Finance Officer of the Board who shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by regulations or delegated to them by the Board or the Chief Executive Officer. Officers and employees of the Board
- (2) Subject to such control and restrictions as may be determined by general or special order of the State Government, the Board may appoint such number of other officers and employees as may be necessary for the efficient discharge of its functions under this Act and may, subject to any rules that may be made in this behalf, make appointments on such posts and determine the designations and grades of persons so appointed.
- (3) The qualifications, terms and conditions of service and functions and duties of officers and employees, appointed under sub-section (2), shall be such as may be prescribed.
- (4) The Additional Chief Executive Officer, the Finance Officer and other officers and employees of the Board shall be entitled to receive from the Fund of the Board such salaries and allowances as may be determined by the State Government in this behalf.
35. The Board may, by general or special order, direct that any function or power (other than the power to approve the Development Plan and to make regulations), or duty performed, exercised or discharged by it under this Act or the rules made thereunder shall subject to such conditions, if any, as may be specified in such order, be performed, exercised or discharged also by such officer as may be specified in the said order and where any such delegation of power is made the officer to whom such power is delegated shall perform, exercise or discharge those powers. Delegation
36. Subject to any rules made in this behalf, any person generally or specially authorized by the Board in this behalf, may, at all reasonable times, enter upon any land or premises and do such things thereon as may be necessary for the purpose of lawfully carrying out any works or for making any survey, examination or investigation, preliminary or incidental to the exercise of any power or performance of any function by the Board under this Act: Power of entry
- Provided that no such person shall enter any building or any enclosed courtyard or garden attached to a dwelling-house without previously giving the occupier thereof at least three days' notice in writing of his intention to do so.
37. The Officers and other employees of the Board shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code [Act No. 45 of 1860]. Officers and employees of the Board to be public servants

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Being the birth place of God Lord Krishna, the importance of Braj region is well known. Several Historical, Cultural, Archaeological places are situated in Braj region of Mathura District, where the tourist and the people having faith and allegiance come from different parts of India and foreign countries. Due to absence of structural and other facilities they have to face various difficulties. In the district of Mathura departmentwise development works are being done but there is no agency to co-ordinate the development works of the various departments. Therefore an agency is needed for preserving, maintaining and developing the Braj Heritage and for making the integrated development by monitoring and co-ordinating the plans and projects of various departments working in Mathura District. It has, therefore, been decided to make a law to provide for the establishment of the Braj Planning and Development Board for co-ordinating the planned development of the Braj region situated in Mathura District.

The Uttar Pradesh Braj Planning and Development Board Bill, 2015 is introduced accordingly.

By order,
ANIRUDDHA SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 11 राजपत्र(हि०)-(2015)-(19)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० विधायी-(2015)-(20)-500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 14 अगस्त, 2017

श्रावण 23, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1548/79-वि०-1-17-1(क)5-2017

लखनऊ, 14 अगस्त, 2017

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2017, पर दिनांक 14 अगस्त, 2017 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2017 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2017

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2017]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड अधिनियम, 2015 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड (संशोधन) संक्षिप्त नाम अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम
संख्या 5 सन् 2015
में साधारण संशोधन

2- उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड अधिनियम, 2015 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में,-

(क) शीर्षक एवं दीर्घ शीर्षक के साथ शब्द "नियोजन और विकास बोर्ड" जहाँ कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "तीर्थ विकास परिषद्" रख दिये जायेंगे;

(ख) पार्श्व शीर्षक के साथ शब्द "बोर्ड" जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "परिषद्" रख दिया जायेगा;

(ग) पार्श्व शीर्षक के साथ शब्द "कौन्सिल" जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायेगा;

(घ) पार्श्व शीर्षक के साथ शब्द "अध्यक्ष" जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष/अध्यक्षा" रख दिया जायेगा।

धारा 2
का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 2 में खण्ड "(ण)" के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा; अर्थात् :-

"(त) 'उपाध्यक्ष' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा पूर्णकालिक उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति से है।"

धारा 3
का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 3 में, उप-धारा (3) में,-

(क) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्:-

"(ख) उपाध्यक्ष।"

(ख) खण्ड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्:-

"(त) ब्रज क्षेत्र की विरासत के संरक्षण हेतु प्रयत्नों के सम्बन्ध में ज्ञान, अनुभव, अभिज्ञता और ट्रैक रिकार्ड रखने वाले पाँच विख्यात व्यक्तियों को अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव/ सचिव, संस्कृति और प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।"

धारा 4
का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 4 में उप-धारा (3) में शब्द "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी" रख दिये जायेंगे।

धारा 6
का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 6 में खण्ड (2) (क) एवं (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जाएंगे; अर्थात्:-

"(क) जिला मजिस्ट्रेट, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो सदस्य सचिव होगा।"

धारा 10
का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 10 में शब्द " एक कैलेंडर वर्ष की तिमाही" के स्थान पर शब्द "साठ दिन" रख दिये जाएंगे।

धारा 27
का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 27 को उसकी उप-धारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धाराएं बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्:-

"(2) उपाध्यक्ष ऐसे विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव जो परिषद् के सदस्य हों, के परामर्श से एक तकनीकी दल का गठन करेगा जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। उक्त दल समय-समय पर परिषद् द्वारा किए गए कार्यों का परीक्षण करेगा और अपनी रिपोर्ट उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।

(3) विधिक मामलों में परिषद् को सलाह देने के लिए एक विधि सलाहकार भी होगा, जो राज्य सरकार के न्याय विभाग के परामर्श से नियुक्त किया जायेगा।"

उद्देश्य एवं कारण

ब्रज विरासत के सर्वांगीण क्षेत्रों यथा-सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीय और स्थापत्य सम्बन्धी सौन्दर्यबोध के गुणों को परिरक्षित, विकसित और अनुरक्षित करने के लिये योजना बनाने हेतु, इस प्रकार की योजना के समन्वय और कार्यान्वयन के अनुश्रवण के लिये, क्षेत्र के एकीकृत पर्यटन विकास और विरासत के संरक्षण और प्रबन्ध के लिये समन्वित नीतियाँ बनाने के लिये और मथुरा जनपद में किसी योजना, परियोजना या किसी विकास प्रस्ताव, जो ब्रज क्षेत्र की विरासत, संसाधनों को प्रभावित करे या जिससे प्रभाव पड़ सके, के सम्बन्ध में किसी विभाग/स्थानीय निकाय/प्राधिकरण को परामर्श और दिशानिर्देश देने के लिए एक नियोजन और विकास बोर्ड के गठन की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड अधिनियम, 2015 अधिनियमित किया गया है। ब्रज क्षेत्र के पर्यावरणीय मानकों और विस्तृत विकास के अन्तर्गत मथुरा क्षेत्र की धार्मिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के क्रियान्वयन के अनुसरण में बोर्ड की कार्यप्रणाली को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी एवं दक्ष बनाने हेतु सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, यह विनिश्चय किया गया है कि मुख्यतः ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड का नाम परिवर्तित कर ब्रज तीर्थ विकास परिषद करने, राज्य सरकार को पूर्णकालिक उपाध्यक्ष नियुक्त करने हेतु सशक्त करने तथा उसे महत्वपूर्ण कार्यकारी शक्ति प्रदान करने और एक विधि सलाहकार नियुक्त करने की व्यवस्था करने हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 1548(2)/LXXIX-V-1-17-1(ka)5-2017

Dated Lucknow, August 14, 2017

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Braj Niyojan Aur Vikas Board (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 2017) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 14, 2017:-

THE UTTAR PRADESH BRAJ PLANNING AND DEVELOPMENT BOARD (AMENDMENT) ACT, 2017

[U.P. Act No. 3 of 2017]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Braj Planning and Development Board Act, 2015.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Braj Planning and Development Board (Amendment) Act, 2017. Short title

General amendment
in U.P. Act no. 5 of
2015

2. In the Uttar Pradesh Braj Planning and Development Board Act, 2015 hereinafter refer to the principal Act,-

(a) for the words "Planning and Development Board" wherever occurring including heading and long title the words "Teerth Vikash Parishad" shall be *substituted*;

(b) for the word "Board" wherever occurring including marginal heading the word "Parishad" shall be *substituted*;

(c) for the word "Council" wherever occurring including marginal heading the word "Samiti" shall be *substituted*.

(d) for the word "Chairman" wherever occurring including marginal heading the word "Chairperson" shall be *substituted*.

Amendment of
section 2

3. In section 2 of the principal Act after clause "(o)" the following clause shall be *inserted*, namely,-

"(p) 'Vice-Chairperson' means a person appointed by the State Government as full time Vice-Chairperson".

Amendment of
section 3

4. In section 3 of the principal Act, in sub-section (3),-

(a) for clause (b) the following clause shall be *substituted*, namely; -

" (b) the Vice-Chairperson."

(b) for clause (p) the following clause shall be *substituted*, namely; -

"(p) five eminent public figure having knowledge, experience, exposure and track record of efforts for the conservation of heritage of Braj region, to be-nominated by the Chairperson in consultation with the Vice-Chairperson, the Principal Secretary/Secretary Culture and the Principal Secretary/ Secretary Tourism to the State Government."

Amendment of
section 4

5. In section 4 of the principal Act, in sub-section (3) for the words "The Chief Executive Officer" the words "The Vice-Chairperson and the Chief Executive Officer" shall be *substituted*.

Amendments of
section 6

6. In section 6 of the principal Act for clauses 2 (a) and (b) the following clauses shall be *substituted*, namely,-

" (a) the District Magistrate, who shall be the Chairperson;

(b) the Chief Executive Officer who shall be the member secretary."

Amendment of
section 10

7. In section 10 of the principal Act for the words the " the quarter of a calender year" the words "sixty days" shall be *substituted*.

Amendments of
section 27

8. Section 27 of the principal Act shall be renumbered as sub-section (1) thereof and after sub-section (1) as so renumbered the following sub-sections shall be *inserted*, namely,-

"(2) The Vice-Chairperson shall constitute a technical team in consultation with the Principal Secretary/ Secretary of such departments as are members of the Parishad comprising experts of different fields. The team will examine from time to time the work done by the Parishad and submit its report to the Vice-Chairperson.

(3) There shall be a legal advisor to advise the Parishad in legal matters, who shall be appointed in consultation with judicial department of the State Government."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Braj Planning and Development Board Act, 2015 has been enacted to provide for constitution of a Planning and Development Board for the preparation of plan for preserving, developing and maintaining the aesthetic quality of Braj Heritage in all hues-cultural, ecological and architectural, co-ordinating and monitoring the implementation of such plan and for evolving harmonized policies for integrated tourism development and heritage conservation and management in the region, giving advice and guidance to any Department/Local body/Authority in the District of Mathura in respect of any plan, project or any development proposal which affects or is likely to affect the heritage resources of the Braj region. In pursuance of implementing various orders passed by Hon'ble National Green Tribunal regarding preservation of religious, mythological and cultural heritage in Mathura region adhering environmental standards and comprehensive development of the Braj region. With a view to ensuring the working of the Board more effective and efficient it has been decided to amend the said Act mainly to provide for changing the name of the Braj Planning and Development Board as Braj Teerth Vikas Parishad, empowering the State Government to appoint a full time Vice-Chairperson and giving him important executive powers and for appointment of a Legal advisor.

The Uttar Pradesh Braj Planning and Development Board (Amendment) Bill, 2017 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA KUMAR SRIVASTVA,
Pramukh Sachiv.